राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	काली देवी बनाम राजेन्द्र प्रसाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/10/2025	432/2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. अनुपस्थित, उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/08/2021 पारित करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 88/3 में आने-जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1/अपीलार्थीयां की भूमि खसरा नम्बर 84 में से (43*4.67) वर्गमीटर 0.02 हैक्टेयर का रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीयां/अपीलार्थीयां ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। रेस्पो. बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस के आधार पर ही अपील का निर्णय किये जाने का निवेदन किया। अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की लिखित बहस के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे अपीलार्थीयां की आपत्तियां न्यायोचित्त प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकल प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा जिस आराजी खसरा नम्बर 88/3 तक रास्ता चाहा गया, उसमे प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद सहखातेदार ही दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से तलब की रिपोर्ट को पटवारी के स्तर से ही तहसीलदार द्वारा तैयार करवा कर प्राप्त करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित है। ऐसी स्थिति में तथ्यों का समुचित संज्ञान लिये बगैर ही एवं पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से नवीन रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किये जाने में क़ानूनी त्रुटी किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/08/2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई कर विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	